# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, पश्चिम (सा0) वनमण्डल मण्डला

Mail Address :->dfotwmand@mp.gov.in , Fax/Phone :-> 07642-251014

क्रमांक/मा0चि0/20/ 296 मण्डला, दिनाँक 05/02/2020

प्रति,

**मैनेजर,**
**जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड,**
**3 फ्लोर, डी0बी0 सिटी मॉल, अरेरा हिल्स,**
**एम0पी0 नगर, भोपाल (म0प्र0)**

**विषय :-** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत् **नैनपुर से लामता** रोड के किनारे OFC लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि रकबा **0.296** हेक्टेयर के प्रत्यावर्तन बावत्।

**संदर्भ :-** 1-अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्र0/एफ-5/विविध/2019/10-11/3649 दिनांक 13.11.2019 एवं क्र0/440 दिनांक 04.02.2020.
2-मुख्य वनसंरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर का पत्र क्र0/मा0चि0/723 दिनांक 24.01.2020.
3-कार्यालयीन पत्र क्र0/मा0चि0/2020/237 दिनांक 25.01.2020.
4-आपका वचन पत्र, इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 30.01.2020.
5- On line पंजीयन क्र0/FP/MP/OFC/42712/2019 दिनांक 31.10.2019.

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा0चि0/20/237 दिनांक 25.01.2020 से वन परिक्षेत्र बम्हनी अंतर्गत **नैनपुर से लामता** तक इस वनमण्डल की सीमा तक (अभ्यारण्य क्षेत्र एवं ईको सेंसिटिव जोन छोड़कर) राईट ऑफ वे के अंतर्गत (मार्ग के किनारे-किनारे) OFC लाईन डालने हेतु **0.296** हेक्टेयर वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत् सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी।

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक/3649 दिनांक 13.11.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा0चि0/20/237 दिनांक 24.01.2020 से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करते हुए आवेदक संस्थान से शर्तों के पालन तथा वचन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। आवेदक संस्था द्वारा उनके पत्र दिनांक 28.01.2020 से शर्तों के पालन हेतु वचन पत्र एवं 100 रूपये की राशि एड-हॉक कैम्पा के Account No. 150767142712940 IFSC Code CORP0000371 में दिनांक 25.01.2020 को ऑन-लाईन जमा करने के फलस्वरूप **नैनपुर से लमता** तक इस वनमण्डल की सीमा अंतर्गत (अभ्यारण्य क्षेत्र एवं ईको सेंसिटिव जोन छोड़कर) OFC में प्रभावित **0.296** हेक्टेयर. वनभूमि व्यपवर्तन की **औपचारिक अनुमति** निम्न शर्तों के अधीन जारी की जाती है।

1. स्वीकृति के अधीन निम्नानुसार वनक्षेत्र में ही कार्य किया जावेगा :-

| क्र0 | वन परिक्षेत्र | वनखण्ड | कक्ष क्र0 | कक्ष के अंतर्गत प्रस्तावित | | | जी0पी0एस0 रीडिंग (प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु का कक्षवार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लम्बाई मी0 | चौड़ाई मी0 | रकबा हे0 | |
| 1 | बम्हनी | अतरिया | RF-94A | 340 | 0.50 | 0.017 | N-22°24'09" E-80°05'50"<br>N-22°24'01" E-80°05'58" |
| 2 | बम्हनी | अतरिया | O-23 | 590 | 0.50 | 0.029 | N-22°24'01" E-80°05'58"<br>N-22°23'53" E-80°06'16" |
| 3 | बम्हनी | अतरिया | RF-93B | 160 | 0.50 | 0.008 | N-22°23'06" E-80°06'23"<br>N-22°23'02" E-80°06'24" |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | बम्हनी | अतरिया | RF-92 | 2190 | 0.50 | 0.109 | N-22°23'02" E-80°06'24"<br>N-22°21'52" E-80°06'22" |
| 5 | बम्हनी | अतरिया | RF-89 | 1800 | 0.50 | 0.090 | N-22°21'52" E-80°06'22"<br>N-22°21'07" E-80°06'31" |
| | बम्हनी | अतरिया | RF-90 | 858 | 0.50 | 0.043 | N-22°21'07" E-80°06'31"<br>N-22°20'40" E-80°06'30" |
| योग– | | | | **5938** | **0.50** | **0.296** | - |

2. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नही होगी।
3. वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राइट ऑफ वे के तहत् है, राइट ऑफ वे का तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
4. वन भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल/भूमिगत टेलीफोन लाईन केबिल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहराई से अधिक नहीं होगा। खोदे गये गढ्डों को आवेदक द्वारा Fill-up किया जाकर समतल स्थिति में लाया जावेगा।
5. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।
7. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई, निकाली गई मिट्‌टी संबंधित वनाधिकारी की उपस्थिति में किया जाकर, सूचना वनमण्डलाधिकारी को आवेदक स्वयं लिखित में देगा।
8. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि, मिट्‌टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन नहीं किया जावेगा।
9. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जावेगा।
10. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है, तो वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
11. सूर्यास्त के बाद उक्त कार्य नहीं किया जावेगा।
12. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि आपके द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में ही कार्य किया जावेगा, अन्य वन क्षेत्र में नहीं।
13. औपचारिक स्वीकृति **जारी दिनांक से मात्र 06 माह की अवधि तक के लिये वैद्य होगी,** इसके उपरांत स्वीकृति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी।
14. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी, एवं वनमण्डलाधिकारी पश्चिम (सा0) वनमण्डल मण्डला को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. आवेदक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन किया जावेगा।
16. म0प्र0 शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 द्वारा अंडरग्राऊण्ड ऑप्टीकल फाईबर केबल लाईन को डालने के प्रकरणों में एन0पी0व्ही0 की राशि से छूट दी गई है। यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन/प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म0प्र0 द्वारा एन0पी0व्ही0 जमा करने सहित अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्त, आवेदक संस्थान को मान्य होगी।

उक्त **औपचारिक स्वीकृति** के तहत् आवेदक संस्थान, संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित कर मौके पर कार्य कर सकेंगे।

**(एम0एन0 त्रिवेदी)**
**भा0व0से0**
**वनमण्डलाधिकारी**
**पश्चिम (सा0) वनमण्डल, मण्डला**

पृष्ठां0 क्र0/मा0चि0/20/297
प्रतिलिपि :–

मण्डला, दिनांक 05/02/ 2020

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू –प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र क्र0/एफ–5/विविध/2019/10–11/440 दिनांक 04.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, (भू–अभिलेख) मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि, विषयांकित OFC लाईन बिछाने की अनुमति आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वन विभाग के अधिपत्य में आने वाली वनभूमि के लिए ही जारी की जा रही है। उक्त अनुमति में राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि तथा अन्य भूमियॉ सम्मिलित नहीं है। यदि आवेदक संस्था द्वारा राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में खुदाई की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये वनमण्डल कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा सकें।

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला

पृष्ठां0 क्र0/मा0चि0/20/298
प्रतिलिपि :–

मण्डला, दिनांक 05/02/ 2020

1. डिवीजनल मैनेजर, मोहगांव प्रोजेक्ट डिवीजन मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपवनमण्डलाधिकारी महाराजपुर (सा0) एवं
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी बम्हनी (सा0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। ध्यान रखा जावे कि, बिना सक्षम स्वीकृति के अन्य वनक्षेत्र में कोई भी गैरवानिकी कार्य न होने पावें।

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला